

8/11/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
डेप्युटी कमिश्नर 3354

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किरपा मुकदमा 136 एल आर एक्ट

बनाम सरकार

नम्बर 281 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
08.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुकलाव</u>            रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गा.सं.अ./2021 /            दिनांक <u>08.11.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग            अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>3354</u>            में प्रार्थी के नाम चक <u>04.M.S.D.</u> की जमाबंदी सम्वत्  <u>2015-1078</u> के खाता सं <u>58</u> में</p> <p><u>मुपराम S/o केराम</u></p> <p>के स्थान पर <u>मुपराम S/o केराम</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशांषा की हैं।            प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प            कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार            दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति            जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब            तहसीलदार <u>मुकलाव</u> रायसिंहनगर की अनुशांषा            के आधार पर वाके चक <u>4.M.S.D.</u> तहसील            रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2015 AP 78</u>            के खाता सं <u>58</u> में</p> <p><u>मुपराम S/o केराम</u></p> <p>के स्थान पर <u>मुपराम S/o केराम</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती करने            के आदेश दिए जातें हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी            अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय            का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।            पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।            आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p>(अर्पिता सोनी)            उपखण्ड अधिकारी            रायसिंहनगर</p>	